

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०— से

जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं० 17/सन-2025 26

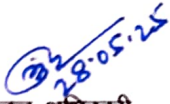
केस का प्रकार — विविध वाद

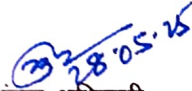
आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र की गई कार्रवाई के बाद में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28.05.2025	—:आदेश:— यह विविध वाद अभिलेख सं०— 17/2025— 26 आवेदक जहाँगीर अंसारी, पिता— स्व० इदरीश मियाँ एवं अन्य, साकिन— माधोपुर, पो०— हेमरोडीह, थाना— धनवार, जिला— गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 05, श्री कंचन कुमार के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन अनुसार पूर्व में न्यायालय अंचल अधिकारी, धनवार के विविध वाद सं०— 51/2024 — 25 दिनांक— 24.03.2025 के द्वारा आवेदन के साथ संलग्न स्थानीय मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली, शपथ पत्र सं०— 68, दिनांक— 13.03.2025, भू — दान यज्ञ कमिटी का फॉर्म — 10 एवं अंचल कार्यालय से निर्गत आम इश्तेहार के पश्चात 1. इदरीश मियाँ, पिता— बंधू मियाँ 2. रहीम मियाँ, पिता— सुकर मियाँ का नाम मौजा— पारहोडीह, थाना न०— 143, खाता सं०— 14, प्लॉट न०— 284/1, रकबा— 1.00 एकड़ भूमि पंजी — II के पेज न०— 61, वोल्यूम न०— 2, कादिर मियाँ वगैरह के नाम से कायम जमाबंदी में से उपरोक्त दोनों रैयतो का नाम नियमानुसार हटाया गया है। आगे प्रतिवेदित करते हैं कि पुनः दिनांक— 15.05.2025 को जहाँगीर अंसारी एवं अन्य के द्वारा दी गई आपत्ति आवेदन के माध्यम से उपरोक्त दो नामों को पंजी— II से हटाये जाने के संबंध में आपत्ति किया गया है एवं उरोक्त दोनों नामों को पंजी— II में पुनः दर्ज करने का अनुरोध किया है। आवेदन में संलग्न स्थानीय मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली, शपथ पत्र सं०— 137, दिनांक— 08.05.2025 के द्वारा बताया गया कि पूर्व में समीम अंसारी के द्वारा फर्जी वंशावली एवं शपथ पत्र के आधार पर उरोक्त दोनों नामों को हटाया गया है। अंत में प्रतिवेदित करते हैं कि आवेदन में संलग्न वंशावली एवं शपथ पत्र सं०— 68, दिनांक— 13.03.2025 के आधार पर विविध वाद सं०— 51/2024 — 25 को खारिज करते हुए पूर्व में दर्ज रैयतो के नाम के अनुसार जमाबंदी में नाम दर्ज किया जा सकता है तथा पूर्व में कायम जमाबंदी में दर्ज रैयतो का नाम पुनः बहाल किया जा सकता है। जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जॉच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में अभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया। निर्धारित तिथि 26.05.2025 को प्रथम पक्ष उपस्थित होकर कहा कि उनके द्वारा कभी भी किसी भी व्यक्ति को वादगत भूमि की जमाबंदी से नाम हटाने हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी गई है। उन्होंने वादगत भूमि के जमाबंदी में (मौजा— पारहोडीह, थाना न०— 143, भाग सं०— 2, पृष्ठ सं०— 61 पर कायम ऑनलाईन जमाबंदी में) पुनः (1) इदरीश मियाँ पिता बुधन मियाँ तथा (2) रहीम मियाँ, पिता— सुकर मियाँ का नाम जोड़ने का अनुरोध किया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के आरोप का कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया। इससे प्रथम पक्ष का आवेदन/दावा सही प्रतीत होता है।	

अतः राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 5, श्री कचन कुमार/अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन तथा उभय पक्षों के द्वारा उपस्थित हो कर दिए गए बयान एवं प्रति-परिक्षण के उपरान्त पूर्व में अंचल अधिकारी, धनवार के विविध वाद सं०- 51/2024- 25 में उपलब्ध कराए गए कागजात को फर्जी/गलत दस्तावेज मानते हुए विविध वाद सं०- 51/2024 - 25 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए ऑनलाईन पंजी- ॥ में कायम जमाबंदी यथा मौजा- पारहोडीह, थाना नं०- 143, भाग सं०- 2, पृष्ठ सं०- 61 पर कायम ऑनलाईन जमाबंदी में पुनः (1) इदरीस मियाँ पिता बुधन मियाँ तथा (2) रहीम मियाँ, पिता- सुकर मियाँ का नाम जोड़ने का आदेश दिया जाता है।

संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 05 एवं अंचल निरीक्षक, धनवार को उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं सशोधित।


अंचल अधिकारी,
धनवार।


अंचल अधिकारी,
धनवार।